


मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

(80)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 04.11.2006

क्रमांक एफ 1-87/98/20-1 :: राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.5.2006 द्वारा पंचायत/नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मियों के लिये स्वीकृत वेतन के 240% की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसे दिनांक 01.09.06 से बढ़ाकर 240% के स्थान पर 255% (दो सौ पचपन प्रतिशत) मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

§ आर. के. भर्तीवा §
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 04.11.2006

पृष्ठान्त क्रमांक एफ 1-87/98/20-1

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग .
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय को इस विभाग की नस्ती पर दी गई सहमति क्र. 861/2000/06/नियम/चार, दिनांक 17.10.2006 के संदर्भ में प्रेषित।
3. महालेखाकार, म. प्र. खातियर .
4. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
5. सचिव, म. प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग को प्रकाशन हेतु अर्पित।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म. प्र. भोपाल .
7. समस्त सहायक आयुक्त, म. प्र.

निरंतर...

112/1

(181)

8. समस्त जिलाध्यक्ष, म. प्र.
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म. प्र.
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म. प्र.
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका, म. प्र.
12. समस्त संयुक्त संचालक, म. प्र.
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म. प्र.
14. समस्त कोषालय अधिकारी, म. प्र.
15. अवर सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग कक्ष 2, 3 एवं 4
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
16. आईए बुक .

R. W. Shrivastava
411/06
अवर सचिव

:: राकेश मुले ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग